GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VI/ 341 RBE No. 60 /2014

No. PC-V/2009/A/DR/1 New Delhi, dated 30 .05.2014

The General Managers/ CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Sub:-Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment w.e.f. 01.01.2014.

A copy of Office Memorandum No.42/10/2014-P&PW(G) dated 07th May, 2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare) on the above subject is sent herewith for your information and necessary action.

2. In pursuance of the enhanced rates of ex-gratia to the surviving SRPF(C) retirees issued vide Board's letter No. F(E)III/98/PN1/Ex-Gr./3 dated 15.11.2006, para 1(i) of DoP&PW's O.M dated 07th May, 2014 may be read as under:-

> "The surviving Group 'A', 'B', 'C' and 'D' SRPF (Contributory) beneficiaries who had retired from service during the period from 01-04-1957 to 31-12-1985 and have been sanctioned enhanced slab-wise ex-gratia @ ₹3000/-, ₹1000/-, ₹750/- and ₹650/- per month respectively w.e.f 01.11.2006, in lieu of uniform rate of ₹600/- p.m are entitled to Dearness Relief @ **200% w.e.f. 01.01.2014.**"

3. A concordance of various instructions and orders referred to in the enclosed office memorandum with reference to corresponding Railway instructions is indicated below :-

S.No.	Para No. and Date of OM	No. and date of Deptt. of Pension & Pensioners' welfare's O.M.	No. & date of Corresponding orders issued by Railway Board.
1.	Para-1 of OM dt. 07.05.2014	OM No.42/13/2012-P&PW (G) dated 17th Oct, 2013.	PC-V/2009/A/DR/1 dated 14.11.2013
2.	Para-1 of OM dt. 07.05.2014	OM No. 45/52/97-P&PW (E) dt. 16-12-97	F(E)III/97/PN1/EX-Gr/3 dated 31-12-1997

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

DA: As above

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2009/A/DR/1 **New Delhi, dated 30.05.2014**

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi

for Financial Commissioner, Railways

D:\MANOP\General Orders\Dearness Relief\01-01-2014.doc

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र. सं. पीसी-VI 341 आरबीई सं. 60 /2014

सं. पीसी-V/2009/ए/डीआर/1 नई दिल्ली, दिनां 30.05.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: 01.01.2014 से अनुग्रहपूर्वक अदायगी प्राप्त होने पर सीपीएफ लाभार्थियों को महंगाई राहत प्रदान करना।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के दिनांक 07 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्ड पीडब्ल्यू(जी) की एक प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ भेजी जा रही है।

2. बोर्ड के दिनांक 15.11.2006 के पत्र सं. एफ(ई)III/98/पीएन1/एक्स-जी आर/3 के तहत जारी जीवित एसआरपीएफ(सी) सेवानिवृत्तों के लिए बढी हुई अनुग्रहपूर्वक दरों के अनुसरण में दिनांक 07 मई, 2014 के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(i) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

> "ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' के जीवित एसआरपीएफ (अंशदायी) लाभार्थी जो 01-04-1957 से 31-12-1985 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें 600/- रुपए प्रति माह की एक समान दर के बदले में 01.11.2006 से क्रमश: 3000/- रुपए, 1000/- रुपए, 750/- रुपए और 650/- रुपए प्रति माह की दर से बढी हुई स्लैबवार अनुग्रहपूर्वक राशि स्वीकृत की गई है, वे **01.01.2014 से 200%** की दर से महंगाई राहत के हकदार हैं।"

3. तदनुरूपी रेलवे अनुदेशों के संबंध में संलग्न कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न अनुदेशों एवं आदेशों की अनुक्रमणिका नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	कार्यालय ज्ञापन का पैरा सं. एवं तारीख	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुरूपी आदेश की संख्या एवं तारीख
1.	दिनांक 07.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा-1	दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 का कार्यालय ज्ञापन सं. 42/13/2012-पी एण्ड पीडब्ल्यू(जी)	दिनांक 14.11.2013 का पीसी-V/2009/ए/डीआर/1
2.	दिनांक 07.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा-1	दिनांक 16-12-97 का कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97-पी एण्ड पीडब्ल्यू(ई)	दिनांक 31-12-1997 का एफ(ई)III/97/पीएन1/एक्स-जीआर/3

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

अनुलग्नक : यथोक्त

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड